न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

छोटी देवी बनाम रामेश्वरी देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु.नं.-127/08	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा सिंह शेखावत एड. ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावे पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। शेष प्रतिवादीगण की तामील असालतन व इन्कारी से होकर लौटी है, जो तामील पर्याप्त है। बावजूद तामील हाजिर अदालत उपस्थित नही आये है। अतः प्रतिवादीगण सं. 6/1 से 6/7 व प्रतिवादीगण सं. 28 से 34 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 19.02.2013 को जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1581/भू.अ./2021 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गयी। वकील वादीया व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस के दौरान अपनी सहमति प्रदान की तथा इसी अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री जारी करने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान के सहमत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उक्त संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शे का गहनता से अवलोकन किया। वास्ते अंतिम निर्णय पत्रावली दिनांक 20.09.2021 को पेश हो। Rathore 15/09/2021 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर	राजेन्द्र सिंह एड. दिनेश कुमार एड. (वकील प्रतिवादीगण)
20.09.2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया। निर्णय अनुसार वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाता है तथा इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Rathore 20/09/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.30 11:00:43 IST
Reason: SelfAttested